



मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग

क्रमांक/मप्रराअआ/२००९/३-५-६

भोपाल, दिनांक ३/११/२००९

अल्पसंख्यक संस्था संबंधी प्रमाण-पत्र

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम १९६६ की धारा (२) (ग) तथा संशोधन अधिनियम २००९ की धारा २ (ग) दो के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य में निम्नांकित समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया गया है:-

- | | | |
|--------------|-------------|--------|
| १. मुस्लिम | २. किश्चियन | ३. सिख |
| ४. बुद्धिस्ट | ५. पारसी | ६. जैन |

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग को शिक्षण संस्था- उद्योग विद्यालय
पुष्पेश्वर एच. एम. होस्टल, मंत्रालय, ए.एस. (ई.एस.) के कलेक्टर संजय सिंह
के द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक- २५.११.२००९ और उससे संलग्न पंजीयक फॉर्म एवं सोसायटी

के पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं उनसे सत्यापित संस्था के संचालकों की सूची के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था अल्पसंख्यक संस्था है तथा इस संस्था का संचालन वर्तमान में घोषित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा किया जा रहा है।
(माननीय आयोग द्वारा आदेशित)

मीरा देशमुख
(मीरा देशमुख)

अनुभाग अधिकारी

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग

भोपाल

भोपाल, दिनांक १/११/२००९

पृष्ठांकन क्रमांक/मप्रराअआ/२००९
प्रतिलिपि:-

१. कलेक्टर जिला ई.एस. मध्यप्रदेश को सूचनाार्थ।
२. जिला शिक्षा अधिकारी जिला ई.एस. मध्यप्रदेश को सूचनाार्थ।

अनुभाग अधिकारी

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग

भोपाल

ई.एस. कलेक्टर, भोपाल - ४६२००१ ☎ ५४०९८९ फॅक्स नं. ०७५५-७३७३६२

Manager

St. Mary's English Medium School
W.No. 2, Bnarera, Balaghat (M.P.)

431001